प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 54/2021
अनवान : –

1. चानणमल पुत्र सुलतान जाति नाई निवासी ढीलकी जाटान तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. सुलतान पुत्र जेठाराम जाति नाई निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर (फौत)।
2. जगदीश पुत्र सुलतान जाति नाई निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
3. बाधो पुत्री सुलतान जाति नाई निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
4. धन्नी देवी पुत्री सुलतान जाति नाई निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
5. गिरदावरी पुत्री सुलतान जाति नाई निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
6. भूरी पुत्री सुलतान जाति नाई निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
7. सुनीता पुत्री सरस्वती पुत्री सुलतान जाति नाई निवासी ढिलकी तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **वादी**
श्री मनीराम सरावग अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांकः 25.05.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा चक 12 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 53/53 की कुल 19.7340 हैक्ट भूमि में से 2189/19709 हिस्सा तथा रोही मौजा 13 जीजीएम के खाता स0 81/62 की कुल 1.0120 हैक्ट भूमि में से 1/9 हिस्सा तथा रोही मौजा ढिलकी जाटान के खाता स0 89/101 की कुल 15.5600 हैक्ट भूमि में से 216/1945 हिस्सा भूमि सुलतान के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जो वादी के दादा फौत होने के बाद यह भूमि परिवार का मुख्य होने के करण अकेले वादी के पिता के नाम दर्ज हो गई। सुलतान जो की वादी का पिता है का देहान्त हो गया है। सुलतान के जायज वारिस वादी एवं प्रतिवादीगण स0 2 ता 7 है, वादी की माता भी फौत हो चुकी है। प्रतिवादी स0 3 ता 7 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी स0 2 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। बाद हकत्याग वादी एवं प्रतिवादीगण स0 2 ... खातेदार है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। लिहाजा यही विनाद ... है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:27:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 2 ता 7 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना जवाब ईकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी सं0 8 राजपेरोकार ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में नकल जमाबंदी 12 जीजीएम खाता स0 53/53, नकल जमाबंदी चक 13 जीजीएम खाता स0 81, नकल जमाबंदी रोही मौजा ढिलकी जाटान खाता स0 89/101, सदस्य प्रमाण पत्र, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र सुलतान पुत्र जेठाराम, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र मैना पत्नी सुलतान आदि पेश किये। वादी द्वारा आदेश 6 नियम 17 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिस पर वकील प्रतिवादी द्वारा एतराज जाहिर नही करने के कारण स्वीकार किया गया तथा संशोधित शिर्षक पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्यवादी में वादी द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीया स0 1 ता 7 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है। उक्त वाद भूमि वादी के पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादी का पिता सुलतान फौत हो चुका है। सुलतान के जायज वारिस वादी एवं प्रतिवादी स0 2 ता 7 है जो कि प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन करवाकर उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी के वाद को प्रतिवादी स0 2 ता 7 द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वादी ने रोही मौजा चक 12 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 53/53 की कुल 19.7340 हैक्ट भूमि में से 2189/19709 हिस्सा तथा रोही मौजा 13 जीजीएम के खाता स0 81 की कुल 1.0120 हैक्ट भूमि में से 1/9 हिस्सा तथा रोही मौजा ढिलकी जाटान के खाता स0 89/101 की कुल 15.5600 हैक्ट भूमि में से 216/1945 हिस्सा भूमि सुलतान के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:27:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत सदस्य प्रमाण पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा सुलतान के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी सं0 2 ता 7 द्वारा वाद की सभी मदों को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल पेश कर निवेदन किया है कि यदि वाद वादी डिक्री फरमाया जाता है तो उन्हें कोई एतराज नही है। प्रतिवादी स0 3 ता 7 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 2 ता 7 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 12 जीजीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता स0 53/53 की कुल 19.7340 हैक्ट भूमि में से 2189/19709 हिस्सा तथा रोही मौजा 13 जीजीएम के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता स0 81/62 की कुल 1.0120 हैक्ट भूमि में से 1/9 हिस्सा तथा रोही मौजा ढिलकी जाटान के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता स0 89/101 की कुल 15.5600 हैक्ट भूमि में से 216/1945 हिस्सा भूमि सुलतान के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में सुलतान पुत्र जेठाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी स0 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 21/12/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–ढिलकी जाटान

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:27:20 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 54/2021

अनवान : –

1. चानणमल पुत्र सुल्तान जाति नाई निवासी ढीलकी जाटान तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. सुल्तान पुत्र जेठाराम जाति नाई निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर (फौत)।
2. जगदीश पुत्र सुल्तान जाति नाई निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
3. बाधो पुत्री सुल्तान जाति नाई निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
4. धन्नी देवी पुत्री सुल्तान जाति नाई निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
5. गिरदावरी पुत्री सुल्तान जाति नाई निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
6. भूरी पुत्री सुल्तान जाति नाई निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
7. सुनीता पुत्री सरस्वती पुत्री सुल्तान जाति नाई निवासी ढिलकी तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 54 सन 2021

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री मांगेराम गोदारा व वकील प्रतिवादीगण श्री मनीराम सरावग की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी प्रतिवादी की आपसी सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है रोही मौजा चक 12 जीजीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता स0 53/53 की कुल 19.7340 हैक्ट भूमि में से 2189/19709 हिस्सा तथा रोही मौजा 13 जीजीएम के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता स0 81/62 की कुल 1.0120 हैक्ट भूमि में से 1/9 हिस्सा तथा रोही मौजा ढिलकी जाटान के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता स0 89/101 की कुल 15.5600 हैक्ट भूमि में से 216/1945 हिस्सा भूमि सुलतान के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में सुलतान पुत्र जेठाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी स0 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनांक 25/12/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:27:20 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–ढिलकी जाटान